मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग / कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

उनवान

कोमल जरिए माता गीतादेवी बनाम ईश्वर प्रसाद आदि

वा बाबत :– 88,188 RTA Act

कदमा नम्बर :– 5/2023

र्णय दिनांक :– 13.06.2023

वादी की ओर से वकील श्री महेश कुमार बंसल की व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की र से वकील श्री नरेश कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.06.2023 मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा गादडा के खाता सं0 8/6 के खसरा सं0 268 की 2.419 है0, खसरा सं0 323 की 3.023 है0 खसरा सं0 356 की 0.215 है0, खसरा सं0 417 की 6.146 है0 खसरा सं0 419 की 0.986 है0 कुल खसरा 5 की कुल 12.789 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ईश्वर प्रसाद के नाम दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अकेले की बजाए वादिया कोमल जरिये माता गीतादेवी, प्रतिवादी सं0 1 ईश्वरप्रसाद, प्रतिवादी सं0 2 कमलेश, प्रतिवादी सं0 3 मोनिका, प्रतिवादी सं0 4 राधा, प्रतिवादी सं0 5 परीक्षित को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। राजीनामा को पर्चा डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शिविर प्रभारी
सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
भादरा (हनुमानगढ़)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़